

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p><b>नोरतमल बाबेल बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )</b></p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 42/2023</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-02-2023</p>	<p>अपीलार्थी नोरतमल बाबेल निवासी, मरुधर मार्केट, मेवाड़ी गेट के अन्दर, व्यावर जिला अजमेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.12.2022 में (1) ग्राम डांगियावास के खसरा नम्बर 260 की मिसल बंदोबस्त व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी ( अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 178दिनांक 14.02.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत मांगी गई तथा उनसे प्राप्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 165 दिनांक 14.02.2023 द्वारा कुल 09 पृष्ठ की बिन्दुवार सूचना रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">( हिमांशु गुप्ता )</p> <p style="text-align: center;"><b>जिला कलक्टर, जोधपुर (राब.)</b></p>	